भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **908**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

रसायन और उर्वरक क्षेत्र हेतु विनियामक ढांचा

908. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में रसायन और उर्वरक क्षेत्र हेतु विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं;
(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): (i) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य मानकों को लागू कर रहा है। खतरनाक और घटिया उत्पादों के उपयोग को रोकते हुए, यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित रसायन कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत इन मानकों को अनिवार्य बनाकर, इस पहल का उद्देश्य मानव, पशु और पादप स्वास्थ्य का संरक्षण करना, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुचित व्यापार परिपाटियों को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए अब तक रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए 72 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए हैं। 72 क्यूसीओ में से 41 क्यूसीओ कार्यान्वित कर दिए गए हैं और शेष 31 क्यूसीओ के प्रवर्तन की तारीख को समय-समय पर बढ़ाया गया है।

(iii) इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्यों या पशुओं के लिए जोखिम को रोकने हेतु और इससे जुड़े मामलों के लिए कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग के विनियमन के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 अधिसूचित किया है।

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी) और उसके बाद के संशोधन जिसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले परिसंकटमय रसायनों की पहचान करने के लिए विषाक्तता, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता जैसे खतरनाक मानदंड को परिभाषित किया गया है। एमएसआईएचसी नियम, 1989 को संपूरित करने और केन्द्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर चार स्तरीय प्रणाली के साथ देश में संकट प्रबंधन व्यवस्था को सांविधिक सहायता प्रदान करने के लिए रासायनिक दुर्घटना आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया नियम, 1996 (सीएईपीपीआर नियम, 1996) भी अधिसूचित किए गए हैं।

(iv) उर्वरक क्षेत्र के संबंध में, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 प्रख्यापित किया है। एफसीओ उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और गुणवत्ता को विनियमित करता है। इस आदेश के अंतर्गत, विभिन्न उर्वरकों के विनिर्देशन को संबंधित अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किया गया है। एफसीओ उन उर्वरकों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाता है जो निर्धारित मानक के नहीं होते हैं। एफसीओ के प्रावधान के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई और एफसीओ के तहत प्रशासनिक कार्रवाई दोनों की जा सकती हैं।

(ख) और (ग): (i) पिछले पांच वर्षों में, रसायनों और पेट्रोरसायनों तथा उर्वरकों के समग्र निर्यात में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया है। प्रमुख रसायनों की कुल निर्यात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 में 16,98,384 मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 26,42,179 मीट्रिक टन हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 46,26,765 मीट्रिक टन के शिखर पर थी। दूसरी ओर, प्रमुख पेट्रोरसायनों की कुल निर्यात मात्रा वित्त वर्ष 2019-20 में 87,98,230 मीट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 38,50,778 मीट्रिक टन हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 93,34,559 मीट्रिक टन के उच्च स्तर के साथ उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।

(ii) उर्वरकों के संबंध में, 2019-20 में निर्यात 303604 मीट्रिक टन से घटकर 2021-22 में 154682 मीट्रिक टन हो गया, जो 2022-23 में फिर से बढ़कर 186148 मीट्रिक टन और 2023-24 में 298762 मीट्रिक टन हो गया।

****